

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101908

DATED- 21.6.2021

लोक सूचना

खातेदार आवेदक सतीश कुमार जैन पुत्र श्री हरक चंद जैन निवासी प्लॉट नम्बर सी-20, पकंज सिंघवी मार्ग, नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का ~~आवश्यक~~ उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।
अर्थात:-

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-मुरलीपुरा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	सतीश कुमार जैन पुत्र श्री हरक चंद जैन हिस्सा पूर्ण जाति जैन निवासी प्लॉट नम्बर सी-20, पकंज सिंघवी मार्ग, नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर	450 / 207	0.0970
		452 / 208	0.1530
कुल		कुल किता 2	कुल रकबा 0.2500 वर्ग मीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21.6.2021 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1251

दिनांक: 24/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दलजीत सिंह साहनी द्वारा योजना-गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक-‘ए’, जयपुर के भूखण्ड संख्या-ए-94 फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा/लीजडीड अपने पक्ष में जारी करने हेतु प्रार्थी द्वारा जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना-गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक-‘ए’, जयपुर के भूखण्ड संख्या-ए-94 का फ्री होल्ड पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।


उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3675

दिनांक- 23.6.22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	एस-41	88.88 व.ग.	उदय एनक्लेव	श्री श्रेयांश गुप्ता पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता	श्री आलोक कुमार पुत्र श्री नाथू लाल गुप्ता	मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपस्थित जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

प्र. 2/2-722
24.6.22

उपस्थित जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 3679

दिनांक:- 24/6/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया है। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	बी-466-ए	275.00 वर्ग मीटर	रामनगरिया विस्तार	श्री भौरीलाल मीना एवं श्री जगदीश मीना पुत्रान् स्व. श्री पूराराम	श्री पुरा पुत्र श्री भुवाना	मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करीया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

24/6/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 4405

दिनांक:- 24-6-22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फी होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	सी-2	807.05 व.मी.	श्रीमती मनफूली देवी, श्री यशपाल खन्ना, श्री ध्यान चौद, श्री कुणाल खींची, श्री जिम्मी खींची	जविप्रा	हरचन्दपुरा डेयरी योजना	नामहस्तांतरण
2.	एस.पी.-1	3389.08 व.मी.	श्रीमती मनफूली देवी, श्री यशपाल खन्ना, श्री ध्यान चौद, श्री कुणाल खींची, श्री जिम्मी खींची	जविप्रा	हरचन्दपुरा डेयरी योजना	नामहस्तांतरण
3.	387	373.50 व.मी.	श्री संतोष कुमार, गोपाल, कृष्ण, श्री शरण एवं रामजस पुत्रान् हनुमान सहाय एवं राधेश्याम	जविप्रा	अनन्तपुरा	नामहस्तांतरण

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रति-223
24/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष91-141-2569795 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फ़ैक्स-+91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 3690

दिनांक:- 24/6/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया है। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	158	474.78 वर्ग गज	विनायक एनक्लेव	बाबूलाल जोगी पुत्र स्व. श्री प्रभात नाथ जोगी	नानगी देवी पत्नी श्री प्रभात नाथ	मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं सजरा शपथ पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करायो जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

PR01R-721
24/6/22

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004]

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल {abusufiyan.ras@gmail.com}

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. की योजना- अरिहन्त वाटिका के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र.सं	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड सुख्या
1	अनिता दास	विकास वर्मन	80
2	सोमदत्त शर्मा	रमेश चंद्र वर्मा	50
3	रामावतार शर्मा	कन्हैया लाल शर्मा	83-ए
4	आत्माराम	पतराम	53
5	मंजू देवी रावत	जसवन्त सिंह रावत	86-सी
6	पुष्पा देवी जैन	उत्तम चंद्र	74-ए
7	पुष्पा देवी जैन	उत्तम चंद्र	74-बी
8	अनिल चादवाड	नवरतन चादवाड	77
9	बद्रीलाल गुर्जर	छीतरमल गुर्जर	64
10	दिलीप जैन	मोहनलाल जैन	91-ए
11	दिलीप जैन	मोहनलाल जैन	91
12	दिलीप जैन	मोहनलाल जैन	89
13	दिलीप जैन	मोहनलाल जैन	90
14	दिलीप जैन	मोहनलाल जैन	91-बी
15	सावित्री देवी	मदनलाल	58-ए
16	नानगराम	श्री बाबूलाल मेहरा	87-बी
17	मानसिंह राठौड	रामसिंह राठौड	87-ए
18	मंजू वर्मा	बनवारी लाल	56
19	दिलीप जैन	मोहनलाल जैन	92-ए
20	मदनलाल	छोटूराम	45
21	मोहनसिंह	भंवरसिंह	81-ए
22	शम्भूसिंह	रघुनाथ सिंह	87
23	प्रभाती देवी	रामसहाह	75-ए
24	कैलाश प्रसाद महावर	ललिता राम	31
25	जयन्ति सिंह	किशनसिंह	29
26	कुसुमलता	महेश चंद्र कश्यप	75
27	नारायणसिंह	प्रेमसिंह	28
28	लक्ष्मीचंद्र गुप्ता	सूरजमल गुप्ता	54-ए
29	सीताराम कुमावत	जगदीश कुमावत	71
30	चंद्रप्रकाश जोशी	गंगाधर शर्मा	83
31	इन्द्रा देवी	रमेश सिंह	37
32	दिनेश कुमार महावर	प्रहलाद सिंह	86
33	प्रेमलता महावर	दिनेश कुमार महावर	85
34	मधुशर्मा	जगदीश चांदोलिया	46 एस.पी
35	मोहनलाल बलाई	कल्याणमल बलाई	47
36	हरदेव कुमार महावर	बुद्धाराम कुमावत	30
37	सरोज जांगिड	रमेश चुद्र जांगिड	32-ए
38	संतोष	कृष्णा कुमार	46
39	भूपेन्द्र कुमार जामोलिया	रोहिताश्व कुमार रैगर	31-ए

18078-726
24/6/22

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

40	संतोष	कृष्ण कुमार	51-ए
41	अनिल शर्मा	दिनेश चुद्र शर्मा	72
42	गोविन्द यादव	बंशीलाल	81
43	भोलूराम	बन्नालाल जांगिड	59-ए
44	कन्हैया लाल	भंवरसिंह जांगिड	59
45	रामेश्वरी	रामप्रसाद कुमावत	47-ए

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्तजोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्तजोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRG/R-726
24/6/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-191

दिनांक: 23/6/22

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती माया अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश कुमार अग्रवाल द्वारा योजना-शिव विहार-ए-बी, के भूखण्ड संख्या-108 फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा/लीजडीड अपने पक्ष में जारी करने हेतु प्रार्थीया द्वारा जविप्रा द्वारा जारी पट्टा एवं नाम हस्तान्तरण पत्र तथा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत वसियत आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर योजना-शिव विहार-ए-बी, के भूखण्ड संख्या-108 का फ्री होल्ड पट्टा प्रार्थीया के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

६०

उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

प्रसीर-727
23/6/22

उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1229

दिनांक:- 22/6/2022

आम-सूचना

मीनावाला गृ.नि.स.स. की योजना पवन पुत्र-एच के भूखण्ड संख्या 110ए(1) के उपविभाजन एवं लीजडीड जारी करने हेतु श्रीमती चन्द्रावती पारीक पत्नी स्व० श्री ओम प्रकाश पारीक द्वारा आवेदन किया गया है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड का उप विभाजन कर पट्टा श्रीमती चन्द्रावती पारीक के नाम जारी करने में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। 7 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-77
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनाार्थ।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी-

856
-:सार्वजनिक सूचना:-

दिनांक:-

21/6/22

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम.	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	ममता शर्मा/गोपाल शर्मा (श्री महावीर स्वामी गृ० नि० स०स०लि०की योजना-गिरधर विहार)	48	111.11
2	कमला कंवर/सागर सिंह (मीनावाला गृ०नि०स०स०लि०की योजना-मां करणी नगर-ए)	113 साउथ पार्ट	111.11
3	कैलाश चन्द मीना/राम कुमार मीना (मीनावाला गृ० नि०स०स०लि०की योजना-रिद्धी नगर)	30	52.77
4	दीनदयाल शर्मा/जगन लाल (दी शिवा हा.को.आप.सो.लि.की योजना-अयोध्या नगर)	डी-28	111
5	मोनू करनानी/चेतन करनानी (बाबा आर एन गौड गृ.नि.स.स.लि.की योजना-द्रोणपुरी)	48	358.33
6	वैरेन्द्र सिंह/रोहिताश्व सिंह राघव (अशोकपुरा गृ.नि.स.स.लि.की योजना-कान्हा विहार)	ई-33	240
7	बीना कंवर/जगवीर सिंह (शंकर भवन गृ.नि.स.स.लि.की योजना-कमान्डर्स कॉलोनी)	19	183
8	विभूति/कमलेश कुमार (शंकर भवन गृ.नि.स.स.लि.की योजना-कमान्डर्स कॉलोनी)	23	275

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जविप्रा, जयपुर।
विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/पीआरएन-उत्तर-द्वितीय/2022/डी-875

दिनांक:- 24/6/22

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

प्रार्थी श्री कृष्ण जोशी पुत्र श्री कैलाश चन्द जोशी के नाम मां हिंगलाज नगर-बी के भूखण्ड संख्या 34 का पट्टा विलेख जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2020 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या 2 के उप-बिन्दु संख्या-iv के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शित मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या 32 एवं 36, दक्षिण दिशा में 24 मीटर रोड, पूर्व दिशा में भूखण्ड संख्या 33 एवं पश्चिम दिशा में भूखण्ड संख्या 35 दर्शित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव उपायुक्त पी.आर.एन. (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 24/6/22 को जारी की गई।

उपायुक्त, पीआरएन-उत्तर-द्वितीय,
जविप्रा-जयपुर।

प्रतिनिधि-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त, पीआरएन-उत्तर-द्वितीय,
जविप्रा-जयपुर (उत्तर-1)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू0ओ0नोट

सार्वजनिक विज्ञप्ति

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती मंजु देवी शर्मा पत्नी श्री ओम प्रकाश शर्मा (भैरव गू.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना अमर नगर-सी)	410	277.7
2	श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री महादेव प्रसाद शर्मा (बुनियादी विकास गू.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना हनुमान वाटिका-ए)	216	88.8
3	श्रीमती नीतु कंवर पत्नी श्री नन्द किशोर (बुनियादी विकास गू.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना मां इन्दर विहार-बी)	12-ए	100
4	श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री विजय सिंह (बुनियादी विकास गू.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना उमराव विहार)	71	900
5	श्री अभिषेक कुमार चौधरी पुत्र श्री राम सिंह	55 वेस्ट पार्ट	173.33
6	श्री आकाश कुमार चौधरी पुत्र श्री राम सिंह (भैरव गू.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना मंगल विहार विस्तार)	55 ईस्ट पार्ट	177.56

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त, पीआरएन, उत्तर-प्रथम
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा/पीआरएन/उत्तर-1/2022/डी-710
दिनांक:- 24/06/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3259 दिनांक:- 22.6.2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	आदित्य चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी (महात्मा गांधी गृ.नि.स.स.लि. की योजना श्रवण विहार)	64	466.67
2	आदित्य चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी (महात्मा गांधी गृ.नि.स.स.लि. की योजना श्रवण विहार)	65	466.67

५

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

५

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRC = 732
24/6/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7th
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी-3268 दिनांक:- 22.6.2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	सुमित्रा देवी पत्नी श्री हरदीप सिंह चौधरी (भारत भवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना शिव चौधरी नगर)	151.6	979.99
2	अन्नु चौधरी पत्नी श्री राजेन्द्र चौधरी (भारत भवन गृ.नि.स.स.लि. की योजना शिव चौधरी नगर)	147.2	852.56

८

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

8/6

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4385

दिनांक:- 21/6/22

लोक सूचना

मुकेश कुमार महावर पुत्र चिरंजी लाल महावर, हिस्सा पूर्ण, जाति-कोली, नि. कोली मोहल्ला, कुशलपुरा, जिला-दौसा-303510 खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-कांट, तहसील-आमेर (जयपुर)	मुकेश कुमार महावर पुत्र	57	0.3000
2		चिरंजी लाल महावर	57 / 1303	0.3000

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/6/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4390

दिनांक:- 21/6/22

लोक सूचना

रामजीलाल पुत्र मूलचन्द एवं भूली देवी पत्नी मूलचन्द निवासी-रामनगरिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

:-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-बस्सी, तहसील-बस्सी (जयपुर)	रामजीलाल पुत्र मूलचन्द	767	0.0100
2			768	0.0100
3			769	2.5100
4			771	0.0100
5			773	2.5200
6			किता-05	5.0600
		एवं भूली देवी पत्नी मूलचन्द	766	2.5300
			किता-06	7.59

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/6/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PR/R-709
22/6/22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4388

दिनांक:- 21/6/22

लोक सूचना

हेमराज मीणा पुत्र श्री रामफुल मीणा निवासी-134/20ए, डिफेन्स कॉलोनी, गुर्जर घाटी, आमेर रोड, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-राजपुरखान्या, तहसील-आमेर (जयपुर)	हेमराज मीणा पुत्र रामफुल मीणा	146/2	0.6700

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/6/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रो/8278
22/6/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./जोन -7/2022/डी-249

दिनांक : 24-6-22

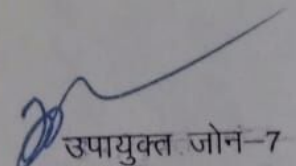
प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण

प्रार्थी मेजर बी.के. रेप्सवाल पुत्र कर्नल जे.एस. रेप्सवाल के पक्ष में भूखण्ड संख्या बी-2/425 क्षेत्रफल 310.51 वर्ग मीटर चित्रकूट योजना की जविप्रा द्वारा लीजडीड क्रमांक 96 दिनांक 23.5.97 को जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या-6 के उप बिन्दु संख्या 2 (iii) के क्रम में भू-उपयोग आवासीय से Clinical laboratory में प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के जारी साईट प्लान अनुसार उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा की ओर- 18.0 मीटर रोड़ है, पश्चिमी दिशा की ओर- भूखण्ड सं. 424 है, उत्तर दिशा की ओर- 9.0 मीटर रोड़ है तथा दक्षिण दिशा की ओर- भूखण्ड संख्या 426 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस आम सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 24-6-22 को जारी की गई।


उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रस्तावित उपान्तरण का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101927

दिनांक: 24/06/2022

लोक सूचना

श्री SWAPNIL DANGAYACH पुत्र श्री MAHESH DANGAYACH जाति MAHAJAN निवासी R/O B-81
ANANDPURI M.D. ROAD JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	गाडोता, मौजमाबाद (जयपुर)	HOME AND ME COMFORT PRODUCTS PVT.LTD.	976/957	100	0.01
कुल					0.01

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24-06-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./जोन -7 / 2022 / डी-249

दिनांक : 24.6.22

प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण

प्रार्थी मेजर बी.के. रेप्सवाल पुत्र कर्नल जे.एस. रेप्सवाल के पक्ष में भूखण्ड संख्या बी-2/425 क्षेत्रफल 310.51 वर्ग मीटर चित्रकूट योजना की जविप्रा द्वारा लीजडीड क्रमांक 96 दिनांक 23.5.97 को जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या-6 के उप बिन्दु संख्या 2 (iii) के क्रम में भू-उपयोग आवासीय से Clinical laboratory में प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के जारी साईट प्लान अनुसार उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा की ओर- 18.0 मीटर रोड़ है, पश्चिमी दिशा की ओर- भूखण्ड सं. 424 है, उत्तर दिशा की ओर- 9.0 मीटर रोड़ है तथा दक्षिण दिशा की ओर- भूखण्ड संख्या 426 स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस आम सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 24.6.22 को जारी की गई।

उपायुक्त जोन-7

जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रस्तावित उपान्तरण का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम (एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त जोन-7

जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 244

दिनांक: 23/6/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित गोपालपुरा गृ.नि. स.स. की योजना-जनकपुरी के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या
1	श्रीमती सुमन पूनियां	श्री सतवीर सिंह	ए-16
2	श्रीमती सुमन पूनियां	श्री विजयवीर सिंह	ए-17
3	श्रीमती सुमन पूनियां	श्री विजयवीर सिंह	बी-01-डी
4	श्री सतवीर सिंह पूनियां	श्री विधाधर आर्य	जी-01
5	श्री विजयवीर सिंह	श्री विधाधर आर्य	जी-01-ए
6	श्रीमती डिपू शर्मा	श्री मुकेश शर्मा	जी-02
7	श्रीमती डिपू शर्मा	श्री मुकेश शर्मा	जी-03
8	श्री रामप्रताप जाजोरिया	श्री छोटूराम जाजोरिया	जी-04
9	श्री मुकेश शर्मा	श्री रामनारायण शर्मा	जी-04-ए
10	श्री ओमप्रसाद शर्मा	श्री रामनारायण शर्मा	जी-05
11	श्रीमती गंगा देवी	श्री रामनारायण शर्मा	जी-13

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित धि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

२९

उपायुक्त जोन -7

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

लिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।

2. सिस्टम एनालिस्ट जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करवावें।